

अनुदान संख्या 60 - निर्वाचन आयोग
GRANT No. 60-ELECTION COMMISSION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	12,50,00	13,86,00	13,53,08	-32,92
पूरक	Supplementary	1,36,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				31,49

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (32.92 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 136.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 24 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (Rs.32.92 lakhs) constituted 24 percent of the supplementary grant of Rs.136.00 lakhs obtained in March,2007 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '2015'	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	1250.00	1354.51	1353.08	-1.43
पू.	S.	136.00			
पु.	R.	-31.49			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) "निर्वाचन आयोग - स्थापना" के अंतर्गत 1112.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1212.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, भत्तों तथा बकाया की अदायगी पर कम व्यय किए जाने के कारण 20.62 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Election Commission - Establishment" - the original provision of Rs.1112.00 lakhs was augmented to Rs.1212.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.20.62 lakhs - due to less expenditure on payment of allowances and arrears.